

115

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R-3306-2114

श्रीमती लक्ष्मी तोमर पत्नी कृष्णवीर सिंह तोमर
निवासी ग्राम-विण्डवा तहसील-पोरसा
जिला-मुरैना म.प्र.

विरुद्ध

1. अजय कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र

निवासी-वार्ड-6 अम्बाह, जिला-मुरैना

2. शेखरदत्त शिवहरे पुत्र श्री चन्द्र शिवहरे

निवासी-वार्ड-14 भूमियां रोड़ अम्बाह

जिला-मुरैना

3. महिला राधारानी बेवा कन्हैयालाल

निवासी वार्ड-6 कन्हैयालाल कॉलोनी

अम्बाह जिला-मुरैना

अपर आयुक्त चम्बल संभाग जिला-मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक
162/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-09-2014 के विरुद्ध
पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है-

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अभिलेख के विपरीत एवं मनमाने होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अनावेदक-3 ने अपने भूमि स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 1795/2, क्षेत्रफल 0.794 में से 1500 वर्ग फीट एवं 260 वर्ग फीट भूमि 2 पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा आवेदक को दिनांक 16-08-2010 को विक्रय कर आधीपत्य सौंप दिया था.

श्री. अ. क. बाजपेयी, को.प्र.
29/9/14

29/9/14
राजस्व मण्डल

श्री. अ. क. बाजपेयी
29/9/14

29/9/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3306/एक/2014

जिला-मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.6.16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 162/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि कस्बा अम्बाह में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1795/2 रकवा 0.794 है0 जिसकी अभिलिखित भूमि स्वामी महिला राधारानी है। राधारानी के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1795/2 रकवा 0.794 है0 के अंश भाग 1500 वर्गफीट तथा 260 वर्गफीट का पृथक-पृथक विक्रय पत्रों द्वारा आवेदक लक्ष्मी तोमर को विक्रय किया गया। आवेदक द्वारा उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण किये जाने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक अजय कुमार द्वारा नामान्तरण में आपत्ति प्रस्तुत की गयी नामान्तरण विवादित हो जाने के कारण पटवारी मौजा द्वारा नामान्तरण पंजी में दर्ज</p>	





कर निराकरण करने के लिये तहसीलदार अम्बाह को भेजा गया विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रय पत्रों के आधार पर आवेदक के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 26.02.2013 को स्वीकार करते हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 24.11.2011 निरस्त किया गया। आवेदक लक्ष्मी तोमर द्वारा अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 18.09.2014 से अस्वीकार की गयी इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि विवादित भूमि सर्वे नं. 1795/2 क्षेत्रफल 0.794 में से 1500 वर्गफीट एवं 260 वर्गफीट भूमि पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक 16.06.2010 को क्रय की गयी है। तत्पश्चात् तहसीलदार अम्बाह द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की आपत्तियों का सकारण निराकरण करते हुये नामान्तरण आवेदन स्वीकार किया गया था ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत किये

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

जाने की दशा में अपीलीय न्यायालयों द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है इसलिये उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया कि ग्राम पटवारी के जिस प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया है उसपर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार अथवा मूल्यांकन नहीं किया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।


5- अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि भूमि सर्वे नं. 1795/2 में विक्रेता के नाम अंकित भूमि रकवा 17752 वर्गफीट जोकि उक्त सर्वे नं. 1795 में निर्मित कॉलोनी रास्तो के लिये रिक्त छोड़ी गयी है में से उपरोक्त दोनो विक्रित प्लॉटो के क्षेत्रफल 1760 वर्गफीट पर नामान्तरण आदेश जारी किया है इस आदेश में विक्रय पत्रों के संलग्न मानचित्रों के अनुसार स्थल पर रिक्त भूमि की उपलब्धता के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया जोकि प्लॉटो के मामले में करना आवश्यक है इसलिये विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय

pm

Om

न्यायालय द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् सकारण आदेश पारित किये गये हैं जिन्हें अपास्त किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने अनुरोध किया गया।

6- उभय पक्षों के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्कों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी तोमर को विक्रय पत्र क्रमांक 1044 द्वारा विक्रय किया गया प्लॉट 1500 वर्गफीट महिला राधारानी की भूमि क्रमांक 1795/2 रकवा 0.794 है० में कही भी खाली प्लॉट के रूप में रिक्त नहीं है इसी प्रकार विक्रय पत्र क्रमांक 1045 द्वारा किया गया प्लॉट 260 वर्गफीट सर्वे क्रमांक 1795/2 पर मौके पर कही भी खुली भूमि के रूप में स्थित नहीं होना मौजा पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण में बताया गया है। सर्वे क्रमांक 1795/2 रकवा 0.794 है० पूर्वी दिशा की तरफ लगी हुयी भूमि सर्वे क्रमांक 1793/3 रकवा 0.073 है० जानकीदेवी बेवा श्रीचन्द्र आदि एवं अजय कुमार की खुली भूमि स्थित होना बताया गया है इससे स्पष्ट है कि विक्रेता महिला राधारानी द्वारा उसके नाम अंकित भूमि सर्वे क्रमांक 1795/2 में सम्पादित विक्रय पत्र 1044 व 1045 में संलग्न मानचित्रों के अनुसार प्लॉट भूमि मौके पर मौजूद न होने से स्थल पर अनावेदकगण की रिक्त पडी भूमि सर्वे क्रमांक 1793/3 रकवा 0.073 है० पर उसका

मिथ्या अधिपत्य बताते हुये विक्रय किया गया है अतः विक्रय पत्रों को विधि अनुकूल विक्रय पत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब विक्रेता के पास विक्रय करने को कुछ था ही नहीं तब ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र किया जाना और ऐसे अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आपत्ति भी नहीं की जाये तब न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्रकरण की वास्तविक स्थिति को देखते हुये आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि स्थल पर रिक्त भूमि की उपलब्धता के संबंध में भी विचारण न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया है यदि अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई विक्रय पत्र किया जाता है और उससे हक उत्पन्न होना संदिग्ध है तब प्रथम दृष्टया संक्षिप्त जाँच में राजस्व न्यायालय द्वारा नामान्तरण से इन्कार किया जा सकता है किन्तु इस प्रकरण में अनावेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की दशा में विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी तोमर के नाम जो नामान्तरण आदेश दिया गया है वह प्रथम दृष्टया विधि अनुकूल नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की है और ऐसे आदेश को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा स्थिर रखा गया है अतः ऐसे अपीलीय न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण नहीं है।



7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 162/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।


सदस्य

सि